**दिनांक 22 जनवरी, 2020 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–**

---

1. उपस्थितिः–संलग्न।

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ससमय राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति के कारण की पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य नहीं कराने एवं बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा वैध कारण नहीं रहने पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०/स्थापना**

2. अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित 8वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य कराने वाले प्रमंडल/जिलों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा शेष को निर्धारित समय से अनुपालन करने हेतु सख्त निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०**

3. सभी नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी पदस्थापित प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/कनीय सांख्यिकी सहायक/अन्वेषक का वर्तमान पदस्थापन स्थान के साथ आरक्षणवार/कोटिवार की अद्यतन स्थिति निदेशालय को लभ्य कराया जाय। इसके लिए निदेशालयस्तर से विहित प्रपत्र के साथ पत्र निर्गत है।

**अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/निदेशालय स्थापना**

4. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प0 चम्पारण के सदर ब्लॉक से स्थानान्तरित कर्मी श्री सौरव कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक द्वारा अभी तक पूर्वी चम्पारण के बंजरीया प्रखंड में योगदान नहीं किया गया है। इस संबंध में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

**अनुपालनः– निदेशालय, स्थापना**

5. <u>**बजट**</u> :–

(i) मासिक व्यय विवरणी की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा दिसम्बर, 2019 का मासिक व्यय विवरणी उपलब्ध करा दिया गया है। इसके लिए सभी को धन्यवाद देते हुए भविष्य में सभी प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

**अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०**

(ii) यात्रा व्यय मद में आवंटित राशि का शत्–प्रतिशत व्यय करने तथा CGS एवं BSS शीर्ष अन्तर्गत यात्रा व्यय मद में नियमानुसार देय राशि का अधियाचना एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जाय साथ ही इस संबंध में निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के पश्चात् प्राप्त होने वाली अधियाचना के विरूद्ध राशि आवंटित किया जाना संभव नहीं होगा।

**अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०**

(iii) समीक्षा के क्रम में योजना मद से आवंटित सांख्यिकी दिवस समारोह, कृषि सांख्यिकी, जीवनांक, लघु सिंचाई गणना से संबंधित प्रशिक्षण एवं आंगनवाड़ी सेविका के मानदेय का भुगतान तथा पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग हेतु आवंटित राशि में से कृषि वर्ष 2018–19 के रब्बी मौसम के लिए आवंटित राशि का शत्–प्रतिशत व्यय दिनांक–07.02.2020 तक करने तथा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालन– संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(iv) रोकड़पंजी एवं कार्यालय के बैंक खाता में संधारित राशि से संबंधित BRS प्रतिवेदन की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि कई कार्यालयों के बैंक खातों में रोकड़पंजी के अन्तःशेष से अधिक राशि संचित है। संबंधित कार्यालयों को स्पष्ट निदेशित किया गया कि अंतःशेष राशि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार समायोजित कर ली जाय। समायोजन नहीं होने की स्थिति में शेष राशि संबंधित जमा शीर्ष में जमा कर दी जाय एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन निदेशालय को अविलम्ब प्रतिवेदित किया जाय।

**अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

6. <u>**वर्षापात**</u>:–

(i) वर्षापात के आंकड़ों को प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाह्न तक Web-Portal पर निश्चित रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेशित किया गया कि वर्षापात के 'शून्य' आंकड़ें प्राप्त होने पर भी प्रतिदिन अपलोड किया जाय।

**अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०**

(ii) ARG अधिष्ठापन के लिए चयनित स्थल हेतु जमीन मालिक से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी संर्पक स्थापित कर नियमानुसार एकरारनामा करते हुए प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०**



Scanned by CamScanner

(iii) AWS अधिष्ठापन हेतु जिलों से प्राप्त स्थलों में से 139 स्थलों को मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण संबंधित जिलों को पुनः सत्यापन अथवा नये स्थल के चयन हेतु वापस की गई है। संबंधित जिला को स्थल चयन हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप इनकी जाँच कर तत्संबंधी प्रतिवेदन चेक लिस्ट की सभी प्रविष्टियों को अंकित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०**

7. रान्यासः–

77वें सत्र में निर्धारित अवधि माह दिसम्बर 2019 तक रान्यास के सभी प्रतिदर्शो का सर्वेक्षित अनुसूचियाँ निरीक्षणालयों द्वारा शत्–प्रतिशत निदेशालय को लभ्य कराने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

8. लघु सिंचाई गणनाः–

छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017–18 एवं जल निकाय गणना का क्षेत्रीय गणना कार्य के उपरांत डाटा इन्ट्री एवं वैलिडेशन का अनुश्रवण करने हेतु सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया। साथ ही पायी गई त्रुटियों के निराकरण हेतु श्री राजीव रंजन वर्मा, के द्वारा Power Point Persention के माध्यम से सभी को अवगत कराया गया। समीक्षा में Power Point Persention को सभी जिलों को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०एवं लघु सिंचाई गणना प्रशाखा, मुख्यालय**

9. साधन सांख्यिकी एवं आवास सांख्यिकी :–

(i) सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का लेखा विवरणी (आय एवं व्यय) विहित प्रपत्र में जिला–रोहतास, गोपालगंज एवं सिवान से आंशिक रूप में प्राप्त है, शेष जिलों से अप्राप्त है। इस संदर्भ में निदेशालय के अनेकों स्मार एवं राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में आपके आश्वासन के बावजूद प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो पाया है। निदेश दिया गया कि शीघ्रताशीघ्र विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

**अनुपालनः– सभी उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०**

(ii) क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवास सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदनों एवं प्रपत्रों की जानकारी दी गयी। आवास एवं भवन निर्माण से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019–20 के तीनों त्रैमासिक का मात्र भोजपुर से प्राप्त है। शेष सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी लंबित त्रैमासिक प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर भारत सरकार को ऑन–लाइन भेजते हुए इसकी सूचना निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

**अनुपालनः संबंधित जिला सां०पदा०**

(iii) सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, कारा सांख्यिकी, पशुवधशाला एवं पशुओं की महामारी, चिकित्सा एवं संचारी रोग से संबंधित लंबित प्रतिवेदनों को अद्यतन कर एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

**अनुपालनः संबंधित जिला सां०पदा०**

10. कृषिः–

(i) भदई मकई एवं अगहनी धान के संपादित फसल कटनी प्रयोग के आंकड़ों को CCE APP के माध्यम एक सप्ताह के अन्दर शत प्रतिशत अपलोड करने एवं भदई मौसम के सभी फसलों का फसल कटनी प्रयोग की अनुसूची को निदेशालय में एक सप्ताह तक लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

(ii) **फसल सांख्यिकी सुधार योजनाः–**

(क) वर्ष 2019–20 में **भदई 1.0 एवं 1.1** अरवल, एवं भागलपुर जिला से अप्राप्त है। संबंधित जिला को लंबित प्रतिवेदन सात दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०**

(ख) वर्ष 2019–20 में **अगहनी 1.0 एवं 1.1** अरवल जिला से अप्राप्त है। संबंधित जिला को लंबित प्रतिवेदन सात दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०**

(ग) भदई मकई 2.0 – बांका जिला से अप्राप्त है।

वांछित प्रतिवेदन सात दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०**



Scanned by CamScanner

11. <u>औद्योगिक उत्पादन सूचकांक</u> :–

राज्य श्रृंखला के अन्तर्गत चयनित औद्योगिक ईकाईयों से उत्पादन संबंधी प्रतिवेदन आधार वर्ष 2011–12 के लिए प्रत्येक माह प्राप्त होना है। सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि आधार वर्ष 2011–12 के लिए चयनित सूची के अनुसार प्रत्येक माह एवं अप्रैल 2016 से अद्यतन मासिक प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय। राज्यस्तरीय बैठकों में बार–बार अनुरोध करने के बाद भी सहरसा से अभी तक पुरानें प्रपत्र में ही प्रतिवेदन प्राप्त हो रहा है, जिसे आधार वर्ष 2011–12 में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। अतएव आधार वर्ष 2011–12 के विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन देना सुनिश्चित की जाय।

**अनुपालनः– उप निदेशक(सां०), कोशी प्रमंडल(सहरसा)/संबंधित जिला सां०पदा०**

12. <u>कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदनः–</u>

कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन सीतामढ़ी जिला के पुपरी केन्द्र से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि लंबित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय। मूल्य संग्रहण दिवस शुक्रवार के अगले कार्य दिवस को मूल्य प्रशाखा के ईमेल (des.si.pricestat@gmail.com) पर भेजते हुए प्रेषित प्रतिवेदन की हॉर्ड कॉपी निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०**

13. <u>नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदनः–</u>

नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन नालंदा, अरवल, लखीसराय, बेगुसराय, गोपालगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, बांका एवं मधेपुरा से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में मूल्य प्रशाखा के ईमेल (des.si.pricestat@gmail.com) पर भेजते हुए प्रेषित प्रतिवेदन की हॉर्ड कॉपी निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

**अनुपालनः संबंधित जिला सां०पदा० आय प्रशाखा, मुख्यालय**

14. <u>जीवनांकः</u>

(i) <u>जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का मासिक प्रतिवेदनः–</u> सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

**अनुपालनः सभी जिला सां०पदा०**

(ii) <u>प्रतिवेदन प्रेषण का स्तरः–</u> सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला अन्तर्गत सभी जन्म–मृत्यु निबंधन इकाईयों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन लभ्य कराना सुनिश्चिंत करें।

**अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०**

(iii) <u>जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धिः–</u> वर्ष 2019 में वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व माह दिसम्बर 2019 तक जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि 96.80 प्रतिशत प्राप्त किया गया। पूर्णियॉं, सीतामढ़ी, दरभंगा, शेखपुरा, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, सहरसा, शिवहर, सुपौल, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों द्वारा शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कैलेन्डर वर्ष 2019 में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने वालें जिलों को प्रशस्ति पत्र देने का निदेश दिया गया।

**अनु०ः– जीवनांक प्रशाखा, मुख्यालय**

(iv) वर्ष 2020 में वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व शत–प्रतिशत जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि प्राप्त करने हेतु वर्ष के प्रारम्भ से हीं लक्ष्य के अनुरुप प्रयास करने का निदेश दिया गया। सभी जिलों को निदेश दिया गया की प्रखण्डवार मासिक एवं वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर सभी प्रखण्डों को लभ्य करना सुनिश्चित किया जाय।

**अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०**

(v) निदेशालय द्वारा लभ्य कराये गये रोस्टर के अनुरूप रजिस्ट्रीकरण इकाईयों में **"विशेष निरीक्षण अभियान"** संचालित करने हेतु निदेशित किया गया ताकि किसी भी स्तर से जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं एवं उनके रजिस्ट्रीकरण में अन्तर की स्थिति उत्पन्न न हो सके साथ ही शत् प्रतिशत घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित किया जाय।

**अनुपालनः–सभी जिला सां०पदा०**

(vi) <u>MCCD त्रैमासिक प्रतिवेदनः–</u> MCCD से संबंधित तृतीय त्रैमासिक प्रतिवेदन दरभंगा एवं मधेपुरा से अप्राप्त है तथा चतुर्थ त्रैमासिक प्रतिवेदन अप्राप्त जिलों को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०**



Scanned by CamScanner

(162)

(vii) मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम :— जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम के साथ पूर्व माह में किये गये भ्रमण का निरीक्षण प्रतिवेदन भी लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः—सभी जिला सां०पदा०/सभी सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी

(viii) वित्तीय वर्ष 2019—20 में समग्र सांख्यिकी विकास योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में आवंटित राशि से प्रशिक्षण कराकर 15 दिनों के अन्दर उपयोगिता प्रमाण—पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— संबंधित जिला सां०पदा०

(ix) वित्तीय वर्ष 2019—20 में समग्र सांख्यिकी विकास योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी सेविका—सह—उप रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु के मानदेय भुगतान हेतु आवंटित राशि का उपयोग कर 15 दिनों के अन्दर उपयोगिता प्रमाण—पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— सभी जिला सां०पदा०

(x) वित्तीय वर्ष 2019—20 हेतु प्रखण्ड स्तर पर जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य में संलग्न कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित कर निदेशालय को अवगत कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः— सभी जिला सां०पदा०

(xi) समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया कि MJK Hospital, बेतिया, पश्चिम चम्पारण का राजकीय अस्पताल में एवं PHC तारापुर, मुंगेर का अनुमण्डलीय अस्पताल में merger संबंधी अधिसूचना के अभाव में निबंधन हेतु लोकेशन कोड देने में समस्या उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में जिला एवं निदेशालय को संबंधित अधिसूचना स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः—संबंधित जिला सां०पदा०/जीवनांक प्रशाखा मुख्यालय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

निदेशक 03/02

**बिहार सरकार**
**योजना एवं विकास विभाग**
**(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)**

ज्ञापांकः—DES(योजना शाखा) 01/2019/192 /पटना, दिनांकः—04.02.2020

प्रतिलिपिः—
1. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)—1 एवं 2/सभी प्रशाखा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रभारी निदेशक कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन निर्धारित अवधि के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

निदेशक 03/02

ज्ञापांकः—DES(योजना शाखा) 01/2019/192/पटना, दिनांकः— 04.02.2020

प्रतिलिपिः— श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को ई—मेल द्वारा प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई.टी. मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 03/02



Scanned by CamScanner